

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।**

**आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह- अगस्त-2016**

क्र०सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1.	निगरानी थाना काण्ड सं०-51/16, दिनांक-15.06.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 3,500/-	अशोक कुमार, पिता-श्री शम्भू सिंह, सा०-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार)। वर्तमान ओ०पी० के फ्लैट में किरायेदार, हरिवंश इन्कलेभ, फ्लैट नं०-सी०/2 अशोक प्रस्थ कॉलोनी, डिबडीह, अरगोड़ा, थाना-अरगोड़ा, जिला-राँची, तत्कालीन कनीय अभियंता, काँके प्रखण्ड, जिला-राँची। <b>आरोप पत्र सं०-59/16, दिनांक-08.08.2016</b>
2.	निगरानी थाना काण्ड सं०-24/16, दिनांक-30.03.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	गृह विभाग ट्रेप केस। 7,000/-	1. प्राथमिकी अभियुक्त श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० राजदेव सिंह, ग्राम-बुढ़ही, थाना-मुफस्सिल, जिला- गया (बिहार), वर्तमान थाना प्रभारी, खरौंधी थाना, जिला-गढ़वा। 2. उमेश मांझी, स०अ०नि० खरौंधी थाना, जिला-गढ़वा। 3. प्रमोद कुमार राय, पिता-स्व० देव नारायण राय, ग्राम-सिमरिया, थाना-रिविलगंज, जिला-छपरा (बिहार), वर्तमान साक्षर पुलिस, मुंशी खरौंधी थाना, जिला-गढ़वा। <b>दो अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं०-61/16, दिनांक-16.08.2016</b>
3.	निगरानी थाना काण्ड सं०-47/16, दिनांक-09.06.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	उर्जा विभाग ट्रेप केस। 35,000/-	विदेश मांझी (उम्र-31 वर्ष), पिता-श्री भीम मांझी, सा०-श्रीरामपुर, पो०\$थाना- कान्द्रा, जिला-सरायकेला, वर्तमान डी० भी०सी० कॉलोनी, चाईबासा, खपरसाई, थाना-मुफस्सिल, चाईबासा, वर्तमान कनीय अभियंता, विद्युत उपकेन्द्र, चाईबासा। <b>आरोप पत्र सं०-58/16, दिनांक-05.08.2016</b>
4.	निगरानी थाना काण्ड सं०-07/16, दिनांक-21.01.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि०	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ट्रेप केस। 5,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री महेश कुमार वर्णवाल (उम्र-53 वर्ष), पिता-स्व० पुनीक लाल वर्णवाल, सा०-नया बाजार गोमो, थाना-तोपचांची, जिला-धनबाद, वर्तमान भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी का

	अधि0-1988		कार्यालय, देवघर। <b>आरोप पत्र सं0-63/16, दिनांक-26.08.2016</b>
5	निगरानी थाना काण्ड सं0-53/16 दिनांक- 28.06.2016, धारा-07/13(2)(डी) अधि0 -1988	ट्रेप केस। 4,000/-	राज किशोर प्रसाद (उम्र-58 वर्ष) पिता-स्व0 रामपुकार प्रसाद, सा0-चाँदपुर बेला, थाना-जक्कनपुर, पो0-जी0पी0ओ0, जिला-पटना, (बिहार) तत्कालीन नाजीर, बिरनी प्रखण्ड, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह। <b>आरोप पत्र सं0-65/16, दि0-16.08.16</b>
6	निगरानी थाना काण्ड सं0-24/11, दिनांक-19.09.11, धारा- 406/409 /467/468/ 109/120(बी) भा0द0वि0 एवं धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) अधि0-1988	<b>झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड</b> द्वारा गढ़वा जिला अन्तर्गत चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों में बरती गयी अनियमितता के आरोप में कांड दर्ज है।	1. श्री बी0के0 लाल, पिता-स्व0 चन्द्रदेव लाल, आवास सं0 एन-18, चन्द्र निकेतन मुहल्ला, तिलक नगर, थाना-पत्रकार नगर, जिला-पटना बिहार, वर्तमान कार्यपालक अभियंता, संविदा पर। 2. श्री सब्बीर अली, पिता-हाजी हुसैन अंसारी, ग्राम-केला बगान, थाना-मधुपुर, जिला-देवघर, वर्तमान सहायक अभियंता, संविदा पर। <b>पुरक आरोप पत्र सं0-60/16, दि0- 16.08.16</b>

**नोट:-** अपराध शाखा में दिनांक-16.09.2016 तक के प्राप्त आरोप पत्रों के अनुसार माह अगस्त-2016 में आरोप पत्रित काण्डों की सूची ऊपर अंकित है। परंतु यह भी सम्भव है कि माह अगस्त में कुछ और काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किया गया हो, परन्तु अभी तक अपराध शाखा में आरोप पत्र अनु0कर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो। अतः इस संबंध में निगरानी थाना ासे स्पष्ट स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।